



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

50
०३/०९/२०१३

क्रमांक : ११७९८ / अका. / सम्बद्धता / 2013

रायपुर, दिनांक : ०३ / ०९ / २०१३

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 29.08.2013 की अनुशंसानुसार एवं आगामी कार्यपरिषद के निर्णय एवं अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-207, 211, स्ट्रीट- मेन रोड, पोस्ट-उत्तर्इ, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 491107 को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है :-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Ed.	100	2013-14

शर्तों :-

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
3. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाए।
4. आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर इण्डोमेट फण्ड हेतु रु. 35,00,000/- (पैंतीस लाख रुपए) कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
5. एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश WRC/APP1640/188th/B.Ed./2013/ 107319-326 date 29.08.2013 में उल्लेखित शर्तों का पालन करेंगे।
6. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
7. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 30 सितम्बर, 2013 तक पूर्ण करें।
8. ग्रन्थालय में पर्याप्त संख्या में संबंधित विषय की पुस्तकें क्रय की जाए।
9. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।

उक्त शर्तों पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ली जाएगी।

आदेशानुसार,

(लाल कुलसचिव)
उप कुलसचिव (अका.) ०३/०९/१३
रायपुर, दिनांक : ०३ / ०९ / २०१३

पृ. क्रमांक : ११७९९ / अका. / सम्बद्धता / 2013

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल (म.प्र.) को मान्यता आदेश WRC/APP1640/188th/B.Ed./2013/ 107319-326 date 29.08.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
4. संचालक, प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-207, 211, स्ट्रीट-मेन रोड, पोस्ट-उत्तर्इ, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 491107
5. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला/सम्बन्धित लिपिक (अका.),
6. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
7. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट में सूचनार्थ Up-Load करें,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(लाल कुलसचिव)

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)